

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

संशोधित :: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व लाडुवाल

भू अभिलेख निरीक्षक शंभाली

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसीलदार करेड़ा

की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लाडुवाल पटवार हल्का लाडुवाल तहसील करेड़ा

व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2076 - 78 में खाता संख्या 376, 569,

में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के

आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>लाडुवाल</u>	<u>376</u> <u>569,</u> <u>673</u> <u>94</u>	<u>शंभुलाल</u> <u>पि० मोहनलाल</u>	<u>शंभुलाल दत्तक पुत्र</u> <u>नानालाल जोशी (ब्रह्म)</u>

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 15/2/22

क्रमांक/न्यायालय /2022/24

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री शंभुलाल दत्तक पुत्र नानालाल जोशी ब्रह्म

PP24/2022

2022/130

उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा